

# दतिया से नरोत्तम मिश्रा नहीं, आशुतोष तिवारी बीजेपी कैडिडेट

■ **जिलाध्यक्ष समेत पार्षदों का इस्तीफा, विरोध में महिलाएं सड़क पर लेटीं; ग्वालियर-झांसी हाईवे 2 किमी तक जाम**

भोपाल/दतिया/नवप्रदेश। भाजपा ने पिछला विधानसभा चुनाव हारे पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव का टिकट नहीं दिया। पार्टी ने शुक्रवार

को आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और व्यापारी सड़क पर उतर आए। बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह समेत पार्षदों ने इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद कर भोपाल में भी विरोध करने की चेतावनी दी है। महिलाएं सड़क पर लेट गई हैं। आशुतोष के

खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।  
**अब तक 13 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा**

वहीं, उपचुनाव की घोषणा के बाद से नरोत्तम मिश्रा चुनावी तैयारियों में जुटे थे। सभाएं करके अपनी पुरानी गलतियों पर माफी मांग रहे थे। उन्होंने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की चर्चा थी। अब तक 13



लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। इनमें से 4 ने जमा कर दिया है। बता दें, आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवदा विधानसभा क्षेत्र

**भाजपा ने नए चेहरे पर लगाया दांव**  
दतिया उपचुनाव में भाजपा ने अनुगामी नेता और संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तिवारी शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान ग्वालियर क्षेत्र के संगठन मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के कड़ीबी नेताओं में माना जाता है। मूल रूप से वे दतिया जिले के भांडेज क्षेत्र के रहने वाले हैं और लंबे समय से संघ व संगठन में सक्रिय रहे हैं। इस सीट पर भाजपा ने एक ब्राह्मण चेहरे की जगह दूसरे ब्राह्मण चेहरे पर गठेखा जताया है। इससे पार्टी ने जातीय समीकरण में बड़ा बदलाव नहीं किया, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर नया विकल्प जरूर साबित होगा।

इसके अलावा, वे रूढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन (कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ) के पद पर भी रहे हैं। भाजपा ने नया चेहरा उतारकर स्थानीय स्तर पर एक नया संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती चुनावी रणनीति और संगठनात्मक नेटवर्क को कम समय में सक्रिय करना होगा। उनके अनुसार, दतिया में भाजपा लंबे समय तक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के मजबूत जनाधार ■ **शेष पृष्ठ 6 पर**

## आज बेबाक

कहते हैं कि श्रेष्ठ दान वह होता है जो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले इसलिए कई लोग गुप्तदान करते हैं। कुछ गुप्त ज्ञानी अपने दान का छिंदोरा पीटने में विश्वास रखते हैं। वे चिल्ला चिल्लाकर खुद को दानवीर कर्ण से भी बड़ा साबित करने की बचकानी कोशिश करते हैं। अब एक नई प्रजाति सामने आई है जो दिए गए दान को वापस लेने कानूनी कार्रवाई की धमकी देती है। ऐसा कर वे अखबारों की सुखियां भले बटोर लें लेकिन उनकी जमकर थू-थू भी हो रही है। भगवान श्रीराम इन बुडबको को सद्बुद्धि दे।

## तंत्र-मंत्र, ट्रेडिंग के नाम पर महिला से 85 लाख की ठगी

भिलाई/नवप्रदेश। भिलाई में घरेलू परेशानियां दूर करने, तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ कराने का झांसा देकर महिला से करीब 85 लाख रुपए की ठगी की गई है। आरोपी ने महिला को कभी जिन और प्रेत बाधा का डर दिखाया, कभी निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का वादा किया। गुप्त पूजा और पति के एक्ससीडेंट होने की बात कर डराया। इसके बावजूद पति की सड़क हादसे में मौत हो गई, जब महिला ने अपने पैसे वापस मागे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी और अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी के मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है।



## 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी

■ **कफ सिरप और टॉनिक पर असर, मेडिकल स्टोर्स को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा**

नई दिल्ली (ए.)। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में यह बदलाव किया है। नए नियम के तहत उन सभी पीने वाली दवाओं को 'शेड्यूल एच-1' कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इनमें एंथिल अल्कोहल की



**रजिस्टर में रहेगा रिकॉर्ड**  
मेडिकल स्टोर्स के लिए भी खास निर्देश है। अब मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होगा। मेडिकल स्टोर्स को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा इस फैसले का आम मरीजों, मेडिकल स्टोर्स और पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा?

मात्रा 12% से ज्यादा होती है और जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतल में बेची जाती है।

## मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन में हुआ अभिनंदन

# अतिथि विद्वानों के हित में आवश्यक संभव कदम उठाये जाएंगे : सीएम यादव

**अतिथि विद्वानों की मांगों के संबंध में विचार के लिए सरकार ने गठित की है समिति**

**उच्च शिक्षा में हमारी सकल पंजीयन दर राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर**

**मग्न को 2029 तक नशामुक्त प्रदेश बनाने सभी एकजुट होकर करेंगे प्रयास**

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझते हैं। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। सदियों से गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमारी पहचान रही है। गुरु-शिष्य परम्परा से हमारी कई पीढ़ियां शिक्षित-दीक्षित, पोषित और पल्लवित हुई हैं। हमारे महाविद्यालय उसी परम्परा के प्रतीक हैं। इनमें शिक्षा देने वाले अतिथि विद्वान युवा पीढ़ी का भविष्य संवारने वाले पावन मंदिर के पुजारी हैं, जो अनेक युवाओं के जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। अतिथि विद्वानों के परिश्रम का सम्मान करते हुए राज्य

प्रतिबद्ध है। अतिथि विद्वानों के कल्याण के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति देश के दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी और मध्यप्रदेश में सबसे बेहतर मॉडल वाली व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में एक-एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं। खरगौन, गुना और सागर में नए शासकीय विश्वविद्यालयों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। बेहतर स्कूल शिक्षा के लिए राज्य में सांदिपनि विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले राज्य के सकल पंजीयन दर और राष्ट्रीय दर में बड़ा अंतर था, परंतु आज प्रदेश का सकल पंजीयन दर (जीईआर) राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो गई है। स्कूल शिक्षा में भी मध्यप्रदेश की ड्रॉप आउट दर शून्य पर आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है। अब केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर सोचने की आवश्यकता है। वर्तमान दौर में नई संभावनाएं, नवाचार, संवेदनाएं और नैतिक मूल्यों के आधार पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आगे लेकर जाने की जरूरत है। भारत दुनिया ■ **शेष पृष्ठ 6 पर**

## पीजी में घुसकर छात्रा की चाकू मारकर हत्या

भिलाई/नवप्रदेश। दुर्गा जिले के भिलाई में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रामनगर स्थित पीजी में रहकर पढ़ाई करने वाला युवती की शुक्रवार को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान बेमेतरा निवासी 20 वर्षीय खुशी साहू के रूप में हुई है। घटना के बाद वैशालीनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, खुशी पढ़ाई के साथ-साथ वैशालीनगर स्थित फ्रेंड्स कैफे में काम भी करती थी। पीजी में खुशी के साथ उसकी सहेली भी रहती थी। पूरा घटनाक्रम उस वक़्त हुआ जब उसकी सहेली नहाने गई हुई थी। खुशी पर हमला करने वाला आरोपी वारदात के बाद मौके से भाग निकला।



■ **टीएमसी से नाराज होकर सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश ने ममता का साथ छोड़ा था**

**कोलकाता (ए.)।** तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने तीनों को बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। तीनों ने ममता से नाराजगी जताई थी और कहा था कि पार्टी मनमाने ढंग से चल रही है। सुखेंदु ने 8 जून, सुष्मिता ने 10 जून

**भाजपा ने बनाया प्रत्याशी**  
भाजपा ने तीनों को बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बंगाल की इन तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 जुलाई को वोटिंग होगी। 14 जुलाई तक नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी।

और प्रकाश ने 11 जून को रिजाइन दिया था। बंगाल की इन तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 जुलाई को वोटिंग और काउंटिंग होगी। 14 जुलाई तक नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी।

## वकील ने सीजेआई को अपशब्द कहे जज को आदेश देने लगा, फेंकी फाइल



**बार काउंसिल कर सकता है कार्रवाई**

वकील के खिलाफ बार काउंसिल भी कार्रवाई कर सकता है। कोई वकील अपने पेशे के नियमों का पालन नहीं करता या गलत आचरण करता है, तो उसके खिलाफ एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

**हंगामे के बाद जज बोले- हमें उससे सहानुभूति है**  
सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने कहा, 'न्यायिक अधिकारी महोदय, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। इस पर जस्टिस केटी विश्वनाथन ने हैरानी जताते हुए पूछा, आप मुझे आदेश दे रहे हैं? इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा, 'मेरी तरफ से बस इतना ही। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। इसके बाद उसने केस की फाइल हवा में फेंक दी और गाली-गलौज करने लगा। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मी सक्रिय हुए और उसे कोर्टरूम से बाहर ले गए। हंगामे के बाद जस्टिस केटी विश्वनाथन ने कहा- वह बहुत परेशान है, यह सब हाताश है। हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है।

## वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और जल्द मुक्तिधाम व आवश्यक सुविधाएं विकसित कराने का आश्वासन दिया

## श्मशान की बदहाल व्यवस्था आई सामने, बारिश में त्रिपाल लगाकर गांववालों ने बचाई चिता

भोपाल/नवप्रदेश। मैहर के भड़गा गांव में मुक्तिधाम और टीन शेड नहीं होने से 83 वर्षीय महिला के अंतिम संस्कार के दौरान बारिश में ग्रामीणों को त्रिपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और जल्द मुक्तिधाम व आवश्यक सुविधाएं विकसित कराने का आश्वासन दिया। मैहर जिले के भड़गा गांव से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यहां एक वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक हुई तेज बारिश ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया। गांव में मुक्तिधाम और टीन शेड जैसी आवश्यक सुविधाएं नहीं होने के कारण ग्रामीणों को



त्रिपाल लगाकर किसी तरह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार भड़गा गांव निवासी विश्वकर्मा समाज की 83 वर्षीय सरोज पत्नी स्वर्गीय शुभकरण विश्वकर्मा, का तीन दिन पहले निधन हो

गया था। परिवार और ग्रामीण परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। इसी बीच मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी प्रकार का स्थायी शेड नहीं होने के कारण वहां मौजूद लोगों को तत्काल त्रिपाल लगाकर बारिश से बचाव करना पड़ा। काफी मशक़त के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सकी।  
**ग्रामीण बोले— अब तक नहीं बनी कोई स्थायी व्यवस्था**  
ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने मुक्तिधाम ■ **शेष पृष्ठ 6 पर**

## खुले पहाड़ी क्षेत्र में

## होता है अंतिम संस्कार

ग्रामीणों का कहना है कि भड़गा गांव में आज तक मुक्तिधाम का निर्माण नहीं किया गया है। मजबूरी में गांव के लोगों को खुले पहाड़ी क्षेत्र में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। गामी, बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम के दौरान अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।



भोपाल कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सियासी अखाड़े में बदल गई

# भोपाल कलेक्ट्रेट में हाईवोल्टेज हंगामा: भिड़े विधायक-अध्यक्ष, औकात में रहो से मचा बवाल, विधायकों का वॉकआउट

**भोपाल/नवप्रदेश।** भोपाल कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को दिशा की बैठक में मास्टर प्लान लागू नहीं होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और विधायक आतिफ अकील की फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत से तीखी बहस हो गई। एक-दूसरे की ओर उंगली दिखाकर बात करने से विवाद और बढ़ गया। प्रमोद ने विधायकों को औकात में रहकर बात करने की नसीहत दे दी। फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने बीच में टोका और उंगली दिखाते हुए बात की। इस पर विधायक मसूद नाराज हो गए। विधायक मसूद ने प्रमोद सिंह राजपूत से कहा, तुम बनाओगे क्या... तुम क्या हो? अब तुम हमें सिखाओगे? ये कैसा मास्टर प्लान है? हम सांसद जी से बात कर रहे हैं। देख रहे हैं सर, ये किस तरह

बीच में बोल रहे हैं।  
**विधायक से अध्यक्ष बोले- औकात में रहकर बात करो**  
इस पर प्रमोद सिंह राजपूत ने भी विधायक मसूद को उंगली दिखाते हुए जवाब दिया। उन्होंने गुस्से में कहा- तुम औकात में रहकर बात करो। तेज आवाज में बात करने से कुछ नहीं होगा। इस तरह करीब 10 मिनट तक विधायक और जनपद अध्यक्ष के बीच बहस चली।  
इसके बाद आरिफ मसूद ने कहा- आप शांति से बैठिए... मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सांसद जी से बात कर रहा हूं। भोपाल का मास्टर प्लान अगर इसी तरह रहेगा तो विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।



बीजेपी विधायक बोले- स्मार्ट सिटी ने भोपाल का नाश कर दिया

अधिकारियों को घेरा। भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा, स्मार्ट सिटी ने भोपाल का नाश कर दिया। बड़ी-बड़ी इमारतें बना दीं, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। लिफ्ट में लोग फंस चुके हैं, कम्युनिटी हॉल तक नहीं बनाया गया और दशहरा मैदान का भी सत्यानाश कर दिया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्मार्ट सिटी के बड़े व्यावसायिक प्लॉट छोटे किए जाएं, क्योंकि बड़े प्लॉट नहीं बिक रहे हैं। इससे खरीदार बढ़ेंगे और स्मार्ट सिटी की आय भी बढ़ेगी।

सबनानी की बात का समर्थन करते हुए कहा, +सबनानी जी वरिष्ठ नेता हैं। यदि वे समस्याएं बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें गंभीरता है। अधिकारियों को इनका जल्द समाधान करना चाहिए।  
**महापौर ने भी उठाए सवाल**  
स्मार्ट सिटी बोर्ड के चेयरमैन एवं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि सभी समस्याओं की अलग से समीक्षा कर समाधान कराया जाएगा। वहीं महापौर मालती राय ने कहा कि स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाइटों की समस्या तक समय पर दूर नहीं हो पाती, जिससे लोगों को परेशानी होती है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में कई विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। इससे टकराव की स्थिति बन रही है। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव

दिया।  
**सांसद बोले- मास्टर प्लान जल्द लागू होना चाहिए**  
बैठक के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का जल्द लागू होना जरूरी है। वे इस मुद्दे पर जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मास्टर प्लान लागू कराने की मांग करेंगे। बैठक में भोजपाल वेटलैंड प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि इसके अध्यक्ष संभागायुक्त हों। भोपाल और सीहोर के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने भोपाल को वेटलैंड शहर घोषित करने की भी मांग की।

## एक्सपो केवल मशीनों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नए अवसरों, हुनर और निवेश का बड़ा मंच है: राज्यमंत्री गौर

### इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो-2026 का किया शुभारंभ

**भोपाल/नवप्रदेश।** पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सपो सिर्फ मशीनों को दिखाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये उद्योगों, नए विचारों, नवाचारों, स्किल डेवलपमेंट और निवेश के नए अवसर देने का एक बड़ा माध्यम बनते हैं। हमारे स्थानीय उद्योगों की तकनीकी तरक्की मध्यप्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार दे रही है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो-2026 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राज्यमंत्री गौर ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर आधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली को करीब से देखा। उन्होंने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में निर्मित मशीनों की गुणवत्ता, तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय उद्योगों की तकनीकी प्रगति प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने का कार्य कर रही है। प्रदर्शनों में ऑटोमेशन, प्रिंसिजन इंजीनियरिंग, मैयुफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल उपकरणों और अत्याधुनिक मशीनरी से जुड़े

## म.प्र. में मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधारेगी एम्स की तकनीक

### मंत्री भूरिया ने दिए साझेदारी को अंतिम रूप देने के निर्देश

#### महिला-बाल विकास और एम्स के मध्य होगा एमओयू

#### फंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

**भोपाल/नवप्रदेश।** प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से लेकर दूरदराज के गांवों तक मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। महिला बाल विकास विभाग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के मध्य एमओयू किया जायेगा। एमओयू से एम्स की हाईटेक तकनीक और विशेषता का लाभ सीधे फंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने गुरुवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में इस साझेदारी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गंभीर कुपोषण की सटीक पहचान और त्वरित इलाज के लिए एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा स्पेशल क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। मंत्री भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बच्चों और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य व संपूर्ण



पोषण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एम्स भोपाल की तकनीकी विशेषज्ञता से हमारे फंटलाइन वर्कर्स और आंगनवाड़ी केंद्रों को नई मजबूती मिलेगी, जिससे नीतिगत स्तर पर सटीक और डेटा-संचालित निर्णय लिये जा सकेंगे। यह एमओयू महिला एवं बाल विकास विभाग और एम्स भोपाल के कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग के अंतर्गत संचालित %स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व स्टेट टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के बीच होगा।

सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।  
एम्स भोपाल के विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान में गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही, आईसीएमआर (ICMR) और एनसीओई (NCOE) नई दिल्ली के सहयोग से बेहतर अनुपूरक आहार (THR) और परिवारों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार पर भी शोध किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सटीक डेटा के माध्यम से सही समय पर गंभीर बीमार या कुपोषित बच्चों को उचित उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। यह साझेदारी दीर्घकालिक रूप से मध्यप्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के कन्वरजेंस (एकीकरण) को बढ़ावा देगी। समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त श्रीमती निधि निवेदिता, एम्स भोपाल के सीएफएम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण एम. कोकने (PI & HOD), नोडल अधिकारी डॉ. अभिजीत पाखरे और राज्य समन्वयक दीपक पाण्डेय सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

## ताजुल मसाजिद के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन



#### काली पट्टी बांधकर निकले नमाजी; दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के विरोध में पोस्टर लेकर पहुंचे

**भोपाल/नवप्रदेश।** मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के विरोध में शुक्रवार को राजधानी भोपाल की ताजुल मसाजिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर नियुक्ति को वापस लेने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुआ।

#### पोस्टरों पर लिखे थे विरोध के संदेश

प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर थे, जिन पर लिखा था कि वक्फ संशोधन कानून के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जहां वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। पोस्टरों पर नॉन

मुस्लिमों की एंट्री बैन करें+, वक्फ में तानाशाही नहीं चलेगी- और वक्फ हमारी आस्था का केंद्र है, इसमें सदैव मुस्लिम ही रहेंगे जैसे संदेश भी लिखे थे। प्रदर्शन में शामिल अब्बास खान ने बताया कि वह नियमित रूप से जुमे की नमाज अदा करने ताजुल मसाजिद पहुंचे थे। नमाज के बाद बाहर निकलने पर विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिली तो वह भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड में नियुक्ति किए गए दोनों गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए और पहले की तरह बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य ही रहें।  
प्रदर्शन में शामिल माज कुरैशी ने आरोप लगाया कि सरकार एकरतफा फैसले ले रही है। उनका कहना था कि यदि सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है तो मुस्लिम समाज को भी विभिन्न सदस्यों में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ से जुड़े फैसलों के माध्यम से मुस्लिम समाज की धार्मिक संस्थाओं और संपत्तियों को प्रभावित किया जा रहा है।

## नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप दें : डीजीपी मकवाणा

सभी जोन, रेंज एवं जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए विस्तृत दिशा-निर्देश

प्रत्येक जिले में अंतर्विभागीय समन्वय एवं प्रभावी जनभागीदारी पर विशेष जोर

**भोपाल/नवप्रदेश।** मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक संचालित किए जाने वाले राज्यव्यापी नशामुक्ति जन-जागरूकता अभियान +नशे से दूरी है जरूरी 2.0+ के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के



सभी जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल एवं इंदौर के पुलिस आयुक्त, समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, रेल पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक पीटीएस तथा समस्त सेनानी विसबल की बैठक ली। बैठक में अभियान की विस्तृत कार्ययोजना एवं दिन-

संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई (Enforcement), सिंथेटिक ड्रग्स एवं प्रीकर्स को नियंत्रण, नशे की मांग में कमी (Demand Reduction), जन-जागरूकता, सामाजिक सहभागिता तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को इस अभियान का प्रमुख आधार बनाया गया है। अभियान के माध्यम से कानून प्रवर्तन के साथ-साथ समाज में नशे के प्रति जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन पर भी विशेष बल दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे

समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी से जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में आयोजित नशे से दूरी है जरूरी अभियान को प्रदेशभर में अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला था और लाखों नागरिकों की सहभागिता से यह एक सफल जनअभियान बना था। उन्होंने अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि +रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। इस वर्ष हमें पिछले अभियान से भी अधिक प्रभावी, व्यापक और परिणामोन्मुखी अभियान चलाना है। प्रत्येक जिला अपने नवाचारों, जनसहभागिता और सकारात्मक प्रयासों से नए कीर्तिमान स्थापित करे।

## भोपाल में दो युवकों से 33 लाख की ठगी: शंयर ट्रेडिंग और रियल स्टेट कारोबार में निवेश के नाम पर की वारदात

**भोपाल/नवप्रदेश।** राजधानी भोपाल में साइबर ठगी और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में शंयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर रियायर्ड बैंक कर्मचारी से 23 लाख रुपए ठग लिए गए। वहीं, दूसरे मामले में रियल एस्टेट कारोबार में निवेश के नाम पर फिजियोथेरेपिस्ट से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिसरोद थाना पुलिस के मुताबिक, सलैया निवासी 48 वर्षीय रोहित वर्मा निजी बैंक से रियायर्ड हैं। उन्होंने इस्ताग्राम पर शंयर ट्रेडिंग से जुड़ा एक ऐप

## 86 हजार क्विंटल गेहूं की कमी के बाद अब बोरों की गुणवत्ता पर सवाल, 9 जिलों में जांच शुरू

**भोपाल/नवप्रदेश।** सरकारी गोदामों में गेहूं की कमी का मामला सामने आने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम ने भंडारण में इस्तेमाल हुए जूट के बोरे और पीपी बैग की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए अलग-अलग जिलों में अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। सरकारी गोदामों में गेहूं की कमी का मामला सामने आने के बाद अब नागरिक आपूर्ति निगम ने खाद्यान्न भंडारण में इस्तेमाल किए गए जूट के बोरे और पीपी (पॉलीप्रोपाइलीन) बैग की

गुणवत्ता की जांच कराने का फैसला किया है। निगम के अध्यक्ष केपी यादव के निर्देश पर प्रबंध संचालक भास्कर लांशाकर ने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। निगम के अनुसार करीब 86 हजार क्विंटल गेहूं की कमी सामने आने के बाद यह शिकायतें मिली थीं कि खाद्यान्न की पैकिंग में इस्तेमाल किए गए बोरे और पीपी बैग की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी। इन्हें शिकायतों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। हालांकि सरकार के अनुसार,



तुलाई, परिवहन और भंडारण के दौरान गेहूं में कुछ कमी आना रह गई है। खास बात यह है कि इस बार गेहूं की खरीदी पिछले

वर्ष की तुलना में करीब 30 प्रतिशत अधिक हुई, फिर भी कमी का स्तर कम रहा। सागर जिले में भी खरीदे गए गेहूं की जांच की जा रही है। वहां पिछले वर्षों में औसतन 510 ग्राम प्रति क्विंटल कमी रहती थी, जो इस वर्ष घटकर 318 ग्राम प्रति क्विंटल रह गई है। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद वास्तविक नुकसान को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे

नेतृत्व में की जाएगी। अलग-अलग जिलों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। एजीएम एस.सी. हेडाऊ सीहोर, उज्जैन और रतलाम जिलों की जांच करेंगे। एजीएम ज्योति चोकसे विदिशा, नर्मदापुरम और देवास की जांच की जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रबंधक हेमराज मोरे भोपाल, रायसेन और नरसिंहपुर जिलों में जांच करेंगे। जांच टीम यह पता लगाएगी कि खाद्यान्न की पैकिंग में इस्तेमाल किए गए बोरे और पीपी बैग निर्धारित गुणवत्ता के थे या नहीं।



# वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और युवक के बीच झड़प

वायरल वीडियो में घिरी लार्डगंज पुलिस

जबलपुर/नवप्रदेश।

शहर के बलदेव बाग चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान लार्डगंज पुलिस और एक युवक के बीच हुआ विवाद अब सिर्फ एक सामान्य पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और आम नागरिकों के साथ व्यवहार पर गंभीर बहस छेड़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सामने आए घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।

लार्डगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान संगम कालोनी उखरी निवासी भावेश रजक और पुलिसकर्मियों के बीच पहले कहासुनी हुई, मामला उस वक्त बिगड़ गया जब पुलिस कर्मी और एक एसआई और एएसआई ने युवक के साथ गालीगलौज कर दो, उस पर युवक भड़क गया7 मौके पर



थाना प्रभारी भी मौजूद रहे7 विवाद बढ़ने के बाद युवक को थाने ले जाकर वाहन भी जब्त कर लिया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। यह घटना कई अहम सवाल छोड़ रही

है। क्या वाहन चेकिंग केवल नियमों का पालन कराने तक सीमित रहनी चाहिए या उसमें पुलिस का व्यवहार भी उतना ही अनुशासित और संवेदनशील होना चाहिए? यदि किसी नागरिक ने यातायात नियमों का उल्लंघन

किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों के आचरण पर भी सवाल उठते हैं, तो उनकी जवाबदेही तय होना भी कानून के शासन का हिस्सा है। कानून

का सम्मान तभी बढ़ेगा, जब उसे लागू करने वालों का आचरण भी कानून और मर्यादा के अनुरूप दिखाई देगा। लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्यका का कहना है कि युवक मॉडिफाई साइलेंसर वाली बुलट वाहन चला रहा था7 विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसे थाने लाया गया, और वैधानिक कार्रवाई की गई7 बहरहाल अब निगाहें जबलपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर हैं। यदि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर तथ्य सार्वजनिक किए जाते हैं, तो न केवल इस विवाद की सच्चाई सामने आएगी बल्कि आम जनता का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा। कानून की निष्पक्षता का वास्तविक संदेश तभी जाएगा, जब जांच बिना किसी पूर्वाग्रह के हो और जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध समान रूप से कार्रवाई की जाए।

## जबलपुर की साख बचाने एकजुट होने की अपील मैडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन पर घमासान

जबलपुर/नवप्रदेश।

मध्य प्रदेश मैडिकल यूनिवर्सिटी के संभावित विभाजन को लेकर जबलपुर में विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसे शहर की प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि यदि मैडिकल यूनिवर्सिटी का विभाजन किया गया तो इससे जबलपुर की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंच ने सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से एकजुट होकर इस प्रस्ताव का विरोध करने की अपील की है। मंच के अध्यक्ष डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने बताया कि विधायक लखन घनशेरिया ने विधानसभा सचिवालय में प्रश्न लगाकर उपमुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से मैडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन के संबंध में जवाब मांगा है। इस प्रश्न का उत्तर 22 जुलाई को



विधानसभा में दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। डॉ. नाजपांडे का कहना है कि जानकारी मिली है कि अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने मैडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन के संबंध में आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। जिस तेजी से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपभोक्ता मंच ने कहा कि मैडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर की पहचान और गौरव का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका

विभाजन शहर के शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत महत्व को प्रभावित कर सकता है। मंच ने सभी जनप्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के हित में एकजुट होने और मैडिकल यूनिवर्सिटी को यथावत बनाए रखने के लिए प्रभावी पहल करने की मांग की है। इस अवसर पर रजत आर्य, एडवोकेट वेदप्रकाश अर्धोलिया, डी.आर. लखेरा, सुशीला कनौजिया, गीता पांडे, मनीष शर्मा एवं प्रफुल्ल सक्सेना सहित मंच के पदाधिकारियों ने भी जबलपुर के हित में सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनका कहना है कि एकजुटता से ही जबलपुर की साख बचेगी।

## लायंस एवं गुंजन ने किया तनिष्क का सम्मान

जबलपुर/नवप्रदेश।

शहीद स्मारक सभागार में संस्कारधानी गौरव, इंडियन आइडल फेम तनिष्क शुक्ला के सम्मान समारोह के अवसर पर लायंस परिवार जबलपुर एवं गुंजन कला सदन मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं प्रांतीय महामंत्री लायन नरेंद्र जैन, संयोजक द्वय प्रतुल श्रीवास्तव, विजय जायसवाल, आलोक पाठक एवं युवराज गढ़वाल ने साफा, शाल,श्रीफल, माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर सांसद आशीष दुबे, विधायक डॉ. अभिलाष पांडे, पार्षद कमलेश अग्रवाल की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।



## सालभर से खुला गड़हा दे रहा हादसों को न्योता!

जबलपुर/नवप्रदेश।

जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े-बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शहर में चल रहे विकास कार्यों में लापरवाही का एक ऐसा ही गंभीर मामला रसल चौक के पास से सामने आया है, जो सीधे तौर पर आम जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है। रसल चौक से थोड़ा आगे नगर निगम के जल विभाग द्वारा खोदा गया एक बड़ा गड्ढा पिछले \*लागू एक वर्ष से जस का तस पड़ चुका है। स्थानीय निवासियों के अनुसार,

काम खत्म होने के बाद भी इस गड्ढे को भरने की जहमत नहीं उठाई गई, जो अब मानसून के मौसम में एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे यह गहरा गड्ढा पूरी तरह छिप जाता है। वाहन चालकों को सड़क और गड्ढे का अंतर समझ नहीं आता, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेश बना रहता है।इस मार्ग पर थोड़ा आगे ही जबलपुर हॉस्पिटल स्थित है, जहां चौबیسो घंटे गंभीर मरीजों को लेकर एम्बुलेंस तेज रफ्तार में आती-जाती है।

जबलपुर/नवप्रदेश।

जीआरपी जबलपुर ने रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को 100 पाव अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई प्लेटनॉयम क्रमांक-1 के इंटारसी छोर पर की गई, जहां सदियथ युवक रेलवे ट्रेक पार कर डोला लेकर जा रहा था। पकड़े गए आरोपी की पहचान भानतलैया निवासी 24 वर्षीय आयुष उर्फ अंशुल चौटेल के रूप में हुई है।



तलाशी में उसके पास से 18 लीटर देशी मसाला मदिरा बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 10 हजार 700 रुपए बताई गई है।आरोपी शराब रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

कर सका। जीआरपी ने शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

## न्यूज गैलरी

15 जुलाई से शुरू होगी नियमित सुनवाई  
ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने गठित की विशेष बेंच

जबलपुर/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में वर्ष 2019 से लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच का गठन किया गया है। अब इन मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ करेगी। सुनवाई 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी। ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह विशेष व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष बेंच गठित करने और तीन माह के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्तों का पक्ष सुनने के बाद मध्यप्रदेश शासन का पक्ष सुनने के लिए 16 जून की तारीख निर्धारित की थी। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने और न्यायमूर्ति विनय सराफ के इंटीर स्थानांतरण के कारण सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठक्कर एवं अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद शर्मा की खंडपीठ ने 16 और 24 जून 2026 को सुनवाई करते हुए 13 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में नियमित सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति विनय सराफ पूर्व में इन प्रकरणों की सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने 8 जुलाई 2026 को प्रशासनिक आदेश जारी कर ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी 91 प्रकरणों की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष खंडपीठ गठित की है। अब इन मामलों में हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई के माध्यम से लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

## चेरीताल कन्याशाला में निःशुल्क कॉपियों का वितरण

जबलपुर/नवप्रदेश।। रोटरी क्लब जबलपुर साउथ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चेरीताल में प्रथम चरण के दौरान 225 से अधिक कन्याओं को निःशुल्क कॉपियों का वितरण किया गया और पिछले वर्ष कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाली तीन मेधावी छात्राओं सम्मान किया गया अध्यक्ष अखिल खंडेलवाल ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि कैरियर बनाने हेतु भविष्य में जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वह उसे पूर्ण करींगे7 इस अवसर पर चेरीताल वाई की पार्षद श्रीमती प्रतिभा भाूपकर, विधयेश भाूपकर, पूर्व अध्यक्ष सारांग भिड़े, सचिव आशीष गुप्ता, नरेंद्र बत्रा, राकेश गिदरौनिया, उमंग अग्रवाल, प्रशांत नागायच, अतुल राजपूत, अनूप रिछा रिया,शाला प्राचार्य एवं गुरुजन उपस्थित थे।

## क्लारेन्स की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार

जबलपुर/नवप्रदेश।। थाना रांडी क्षेत्र में 23 अप्रैल 2026 को सिविल इंजीनियर क्लारेन्स एटकीन्स की गोली मारकर हत्या मामले में फरार मुख्य साजिशकर्ता बाबा नेल्सन उर्फ विकास नेल्सन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने पुत्र प्रिंस नेल्सन व अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस अधीक्षक सम्मत उपाध्याय के निर्देश पर रांडी पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा।

प्रकरण बहाली के लिए हाईकोर्ट की शर्त - याचिकाकर्ता के वकील को ब्लाइंड स्कूल में बच्चों संग बिताना होगा एक घंटा

# अधिवक्ताओं की चूक का खामियाजा असहाय पक्षकारों को नहीं भुगतना चाहिए

जबलपुर/नवप्रदेश।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद पाठक तथा न्यायाधीश बी.पी. शर्मा की संयुक्तपीठ ने अदालती कार्यवाही में वकीलों की लापरवाही और उसके कारण मामलों के खारिज होने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीरता के साथ सुधारात्मक रुख अपनाया है।

संयुक्तपीठ ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ताओं



की चूक का खामियाजा गरीब या असहाय पक्षकारों को नहीं भुगतना चाहिए। इस मत के साथ न्यायालय ने एक खारिज याचिका को बहाल करने के लिए केवल जुर्माना लगाने के बजाय कम्युनिटी सर्विस की अनोखी शर्त लगा दी। संयुक्तपीठ ने कहा कि यह आदेश समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की संवेदनशीलता बढ़ाने और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक टेस्ट केस है। उक्त प्रकरण एक मिसलेनियस पिटीशन की बहाली से जुड़ा था, जो वकीलों की अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गई थी। इसी मामले में बहाली आवेदन स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता 15 दिनों

के भीतर जबलपुर के अंधमूक बायपास स्थित शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाएं। वहां विद्यार्थियों के लिए 2 हजार 500 मूल्य के खाद्य पदार्थ एवं सैक्स लेकर पहुंचें तथा उनके बीच कम से कम एक घंटा बिताएं। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि यह सामुदायिक सेवा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता विकसित करने का माध्यम है। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक घंटे का यह समय न केवल अधिवक्ता को आत्मिक संतुष्टि देगा, बल्कि दृष्टिबाधित बच्चों को यह भरोसा भी दिलाएगा कि समाज उनके साथ खड़ा है। संयुक्तपीठ ने कहा कि उन्हें कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे किसी कमतर ईश्वर की संतान हैं। संयुक्तपीठ ने यह भी कता कि अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और शेल्टर होम्स जैसी संस्थाओं में कई बार बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार या अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं यदि

समाज के जिम्मेदार और सक्षम नागरिक ऐसी संस्थाओं का नियमित दौर करेंगे, तो वहां के प्रबंधन पर सामाजिक निगरानी बनी रहेगी। इससे संस्थागत शोषण और मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालय के दौरे के बाद अधिवक्ता को वहां की स्थिति, अपने अनुभव और सुझाव संबंधी सुझावों के साथ विस्तृत रिपोर्ट एवं शपथ पत्र अदालत में प्रस्तुत करना होगा। इस अनुपालन रिपोर्ट के दखिल होने के बाद ही संबंधित याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए बहाल किया जाएगा। मामले की व्यापक सामाजिक महत्ता को देखते हुए संयुक्तपीठ ने आदेश की प्रतियां प्रदेश के मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा सामाजिक न्याय विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार से ऐसी संस्थाओं में नियमित सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावी नीति तैयार करने की अपेक्षा भी जताई है।

## पालतू कुंे के काटने पर मालिक को सजा, 6 साल पुराने मामले में फैसला

जबलपुर/नवप्रदेश।

पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए जिला न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। करीब छह वर्ष पुराने मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी कोर्ट) ने पालतू कुत्ते के हमले में लापरवाही बरतने के आरोप में उसके मालिक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने कौशल्या अपार्टमेंट निवासी 60 वर्षीय गेविन डिस्सूजा को भारतीय न्याय संहिता की समकक्ष प्रावधानों के पूर्व लागू आईपीसी की धारा 289 के तहत दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। हालांकि गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी से जुड़े आरोपों में उन्हें बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 को सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले सलीम रहमान अपनी मोटरसाइकिल का पंचर बनवाने जा रहे थे। उनके पीछे-पीछे चल रहे आठ वर्षीय

बेटे आतुर रहमान रहीम पर आरोपी के पालतू कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और कमर के निचले हिस्से में काट लिया। बच्चे के घायल होने पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पॉइज पिता का आरोप था कि इलाज करने की बात कहते पर आरोपी ने जिम्मेदारी लेने के बजाय अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। इसके बाद सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया गया था।

## अदालत ने मालिक की जिम्मेदारी तय की

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि पालतू जानवर को नियंत्रित रखने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह घटना हुई। न्यायालय के फैसले को पालतू पशु मालिकों की जिम्मेदारी तय करने वाला अहम निर्णय माना जा रहा है।

## युवा कांग्रेस ने की वीीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग

जबलपुर/नवप्रदेश।

युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जय अहिरवार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) अंजुला झा के कार्यकाल में कथित वित्तीय अनियमितताओं एवं प्रशासनिक गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।



ज्ञापन में जय अहिरवार ने आरोप लगाया गया है कि अंजुला झा के कार्यकाल में विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आई हैं, जनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

साथ ही यह भी मांग की गई कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधिस्ममत कार्रवाई सुनिश्चित

की जाए। इस अवसर पर अचल नाथ, राहुल बबेलर, राजवीर, ऋषभ, अनमोल, प्रिंस, विशाल, मयंक, आदर्श, आनंद आदि उपस्थित थे।







## 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन

श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। 3 जुलाई 2026 से शुरू हुई यात्रा के लिए अब तक 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए हैं। शुक्रवार को 8,796 तीर्थयात्रियों का एक और जल्था जम्मु से घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह नौवां जल्था भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 3,350 यात्री एक सुरक्षा काफिला में तड़के 2:42 बजे जम्मु से बालटाल बेस कैंप के लिए निकले, जबकि 5,346 तीर्थयात्रियों वाला दूसरा सुरक्षा काफिला सुबह 3:24 बजे नुनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुआ।

जम्मु/ए। यात्रियों में 6,426 पुरुष, 2,042 महिलाएं, 228 साधु, 10 बच्चे और 33 विदेशी नागरिक शामिल हैं। काफिले के लिए कुल 354 वाहन लगाए गए थे, जिनमें 175 बसें, 70 मीडियम मोटर वाहन, 106 लाइट मोटर वाहन और तीन दोपहिया वाहन शामिल थे। इनमें से 173 वाहन बालटाल रूट के लिए और 181 वाहन पहलगाम रूट के लिए तय किए गए थे।उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में पंथा चौक यात्री कैंप का दौरा किया। उन्होंने कहा, «पिछले सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा में पिछले साल की तुलना में अधिक श्रद्धालु आए हैं। यह बहोतराी न सिर्फ हमारी आध्यात्मिक विरासत के

लिए एक आशीर्वाद है, बल्कि जम्मु-कश्मीर में पर्यटन के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।» उपराज्यपाल ने कहा, «मैं चाहता हूं कि जम्मु-कश्मीर के बेहतरीन हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद पूरे देश में पहुंचें और यह अनूठी विरासत हर श्रद्धालु के घर में जगह बनाए। इससे हमारे कारीगरों का सम्मान होगा और 'एक जिला एक उत्पाद' अभियान की भावना भी मजबूत होगी, जिससे आस्था, संस्कृति और समृद्धि एक साथ जुड़ेंगे।उन्होंने जिला प्रशासन, सभी संबंधित विभागों, श्राइन बोर्ड, पुलिस, सुरक्षा बलों और अन्य संबंधित लोगों के मिलकर किए गए प्रयासों की तारीफ की।

## थलापति विजय को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

■ करूर भगदड़ के पीड़ितों को बांटेंगे नौकरी

चेन्नई/ए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी छूट मिल गई है। हाई कोर्ट ने उन्हें करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने की अनुमति दे दी है। सीएम विजय आज ही करूर पहुंच रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि यह नौकरी अस्थायी रहेगी और इसपर आगे विचार किया जाएगा। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस आर शक्तिवेल की बेंच ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई फिर से नहीं हो जाती, तब तक इन लोगों को पहला वेतन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने राज्य की सरकार से कहा है कि प्रस्तावित नियुक्तियों को लेकर एक रिपोर्ट फ़ल की जाए और बताया जाए कि क्या सारे नियमों का पालन किया गया है। पिछले साल हुई भगदड़ में कम में 41 लोग मारे गए थे। इनमें से 32 परिवारों को सीएम विजय नियुक्ति पत्र सौंपें। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाा वेत्री कगम (टीवीके) की एक



रैली के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे। वह भी इस रैली में शामिल थे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उन्हें अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सरकार को हालांकि बाहर से समर्थन दे रहे दो वामपंथी दलों ने पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री यहीं लगभग 1,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले एक निजी जुता-चपल (गैर-चमड़ा) निर्माण कारखाने की आधारशिला रखेंगे, जिससे राज्य के लगभग 13,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा और इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरे करूर में लगभग 6,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

## आधी रात गुरुग्राम में एनकाउंटर दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाश ढेर



■ 3 पुलिसवालों को भी लगी गोली, 20 से अधिक राउंड फायरिंग हुई

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात पुलिस और गैंगस्टरों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। सुशांत लोक ए-ब्लॉक में अपराध शाखा की टीमों ने दीपक नांदल गैंग के 5 शूटरों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग में 4 शूटर ढेर, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान 20 से अधिक राउंड फायरिंग हुईं। बदमाशों की गोली

लगने से एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। सभी का मेदांता अस्पताल में इलाज जारी। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर सिबास कविराज ने 4 शूटरों के मारे जाने और 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की पुष्टि की है। पूरे इलाके को सील कर पुलिस और एफएसएल टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी है।

कैसे पहुंची पुलिस?

पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की टीमों को पुलिस कंट्रोल

खंगाला जा रहा आपराधिक रिकॉर्ड

इस मुठभेड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस के 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। तीनों घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया है। उनकी स्थिति पर चिकित्सकों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के DCP क्राइम और DCP ईस्ट श्री मोके पर पहुंच गए। सीन-ऑफ क्राइम, एफएसएल और अन्य संबंधित पुलिस टीमों घटनास्थल का वैज्ञानिक व तकनीकी निरीक्षण करके आवश्यक साक्ष्य जुटा रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मृत और घायल अपराधियों की पहचान, उनके आपराधिक रिकॉर्ड, बरामद हथियारों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जांच के बाद साझा की जाएगी।

रूप से एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ हथियार बंद अपराधियों के होने की सूचना मिली। क्राइम ब्रांच की टीमें जब सुशांत लोक एरिया में पहुंची तो अपराधियों की ओर से एक व्यवसायी के घर पर अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी गई थी। इस व्यवसायी को विदेश में बैठे एक इनामी गैंगस्टर से फ़िरोती के लिए लगातार संदेश आ रहे थे। क्राइम ब्रांच की ओर से अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी गई

लेकिन उनकी ओर से पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी गई और भागने की कोशिश की गई। पुलिस टीम की ओर से आत्मरक्षा और अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें सभी 5 शूटर को गोली लगी। सभी को जब एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टरों ने 4 अपराधियों को मृत घोषित कर दिया और एक का उपचार अस्पताल में जारी है।

## राष्ट्रपति का बड़ा फैसला: 20 साल बाद फलस्तीन में होंगे चुनाव

■ इसका उद्देश्य 'लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना और फलस्तीनी राज्य में शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना

यरूशलेम। फलस्तीनी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने घोषणा की है कि चुनाव इस साल के नवंबर के अंत में आयोजित किए जाएंगे, जो 2006 के बाद पहली बार होंगे। राष्ट्रपति अब्बास ने एक अध्यादेश जारी कर शनिवार, 28 नवंबर, 2026 को यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी सहित सभी फलस्तीनी क्षेत्रों में चुनाव कराने की तारीख निर्धारित की है। वाफा ने बताया कि राष्ट्रपति ने एक फरमान के माध्यम से फलस्तीनी लोगों से तय तिथि पर फलस्तीनी विधान परिषद के सदस्यों का



चुनाव करने के लिए स्वतंत्र और प्रत्यक्ष चुनावों में भाग लेने का आह्वान किया है। इस फरमान का उद्देश्य 'लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना और फलस्तीनी राज्य में शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना है।' अगर मतदान आगे बढ़ता है, तो यह 20 वर्षों में पहली बार होगा। फलस्तीनी क्षेत्र में अंतिम विधायी चुनाव 2006 में हुए थे, जब हमस ने अब्बास की

फतह पार्टी को हराकर जीत हासिल की थी, जिसने पहले फलस्तीनी राजनीति पर अपना वर्चस्व कायम रखा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इस हार के कारण पार्टी में घृण पड़ गई, जिसके वजह 2007 में हमस ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया।

चुनाव से पहले क्या बाधा?

परिणामस्वरूप, फलस्तीनी प्राधिकरण की संसद, फलस्तीनी विधान परिषद (पीएलसी), 2007 से नहीं मिली है। अल जजीरा के अनुसार, प्रस्तावित चुनाव आगे बढ़ने से पहले कई बाधाओं को दूर करना होगा। एक प्रमुख चिंता कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में फलस्तीनियों की भागीदारी है, क्योंकि इराइल ने

अभी तक इस घोषणा पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उस क्षेत्र में मतदान के संबंध में गारंटी प्रदान करने में इराइल की विफलता के कारण 2021 में पहले से निर्धारित राष्ट्रपति और विधायी चुनाव रद्द कर दिए गए थे। इसके अलावा, गाजा में जारी संघर्ष रसद संबंधी महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इराइल सैन्य अभियान ने गाजा के लगभग 21 लाख निवासियों को आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया है। इसके 90 प्रतिशत से अधिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। जनसंख्या पंजीकरण को बाधित कर दिया है, जिससे वर्तमान में मतदान कराना असंभव हो गया है।

## बीजेपी ज्वाइन करते ही टीएमसी के तीनों सांसदों को मिला इनाम

■ पार्टी ने थमाया

राज्यसभा का टिकिट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तीन बड़े चेहरों ङ्क सुभित्ता देव, सुखेंद्र शेखर राय और प्रकाश बरइक ङ्क ने भाजपा का दामन थामते ही नया राजनीतिक दांव खेल दिया। बीजेपी ने बिना देर किए तीनों नेताओं को पश्चिम बंगाल राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह फैसला सिर्फ उम्मीदवारों

की घोषणा नहीं, बल्कि टीएमसी के गढ़ में भाजपा की सीधी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। तीनों नेता पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सफिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। भट्टाचार्य ने भाजपा के साल्ट लेक स्थित प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम में तीनों पूर्व सांसदों का भाजपा का झंडा देकर स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी की प्रदेश इकाई के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। देव, राय और बरइक ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी, दोनों से इस्तीफा दे दिया था।

■ सुप्रीम कोर्ट का प्रधानाध्यापिका को राहत देने से इनकार

नई दिल्ली/ए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा अगर किसी स्कूल में अधिकारी को बच्चे के यौन शोषण की शिकायत मिलती है तो वह खुद जांच-पड़ताल करके मामले को रफ्त-दफ नहीं कर सकते। अधिकारी घटना की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 19 के तहत घटना की रिपोर्ट न करने पर पोक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें छह महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका पर आरोप था कि उन्होंने एक सीनियर छात्र द्वारा आसल की छात्रा के



साथ दुष्कर्म की शिकायत को दबा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के.वी.विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका को आरोपमुक्त करने का फैसला रह कर दिया है। पीठ ने कहा कि अगर किसी स्कूल अधिकारी को बच्चे के यौन शोषण की शिकायत मिलती है तो वे खुद जांच-पड़ताल करके नतीजा निकालकर ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। अधिकारी घटना की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट में आठ साल की पीड़िता की मां ने अपील दायर की थी।

## अदाणी ग्रुप ने फ्रांस की कंपनी के साथ की साझेदारी, 3500 करोड़ की धोखाधड़ी

नई दिल्ली/ए। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ईएएल) और फ्रांस की क्लोन-टेक कंपनी डायोक्सिकल ने भारत में कम-कार्बन (लो-कार्बन) केमिकल उत्पादन को विकसित करने और बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि इस पहल की शुरुआत अदाणी रूप के एक प्लांट में पायलट परियोजना से होगी, जहां कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) और नवीकरणीय बिजली की मदद से फॉर्मिक एसिड का उत्पादन किया जाएगा। पायलट परियोजना सफल रहने के बाद इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर लागू किया जाएगा। फॉर्मिक एसिड और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल वस्त्र (टेक्सटाइल), कृषि और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सहित



कई उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैप्चर किए गए कार्बन उत्सर्जन को स्वच्छ ऊर्जा की मदद से उपयोगी औद्योगिक उत्पादों में बदला जा सकता है।

3,500 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी, षट्ठड़ का पहला आरोपपत्र दाखिल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस होम फर्निचर लिमिटेड द्वारा बैंकों को 3,500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हानि से संबंधित अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह हानि धन के हेरफेर से हुई थी। गुरुवार को मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल आरोपपत्र में सीबीआई ने चार आरोपियों को नामजद किया है। इनमें आरएचएफएल, आरएचएफएल के दो पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, रवींद्र सुधाकर (कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और कृष्ण गोपालकृष्णन अय्यर (मुख्य जोखिम अधिकारी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी (मुख्य ऋण और जोखिम अधिकारी) को भी नामजद किया गया है। इन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भारी हानि पहुंचाने के इरादे से आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के अपराधों का आरोप है।

## इंग्लैंड में शर्मनाक हार पर बीसीसी सख्त

■ खतर में गौतम गंभीर की नौकरी? प्लेयर्स पर भी गिरेगी गाज!

नई दिल्ली/ए। इंग्लैंड दौरे पर लगातार तीन टी-20 मैचों में हार के बाद टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ पर गाज गिर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टी-20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई टीम के कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकती है। हालांकि, हेड कोच गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, लेकिन बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक टीम के हालिया प्रदर्शन के बाद उनकी नौकरी पर खतरा मंश्रा रहा है। बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को लगातार दो टी-20 सीरीज गंवानी पड़ी हैं। भारतीय टीम को पहले आयरलैंड ने 2-0 से हराया था और अब इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक चार मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रह हो गया था। बीसीसीआई द्वारा भारतीय टीम की समीक्षा किए जाने की बात इसलिए फैल रही है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर मैनेजमेंट के कई फैसलों को लेकर सवाल उठे हैं। खास तौर



पर संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप किए जाने को लेकर टीम मैनेजमेंट की खूब आलोचना हो रही है। संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग के लिए उतारा गया, लेकिन वह कारण साबित नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन और तिलक वर्मा को फॉर्म भी टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बन गया है। आयरलैंड सीरीज को मिलाकर इस पूरे दौरे में तिलक वर्मा बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे हैं। अब सवाल यह है कि लगातार फेल हो रहे तिलक वर्मा को क्या इसलिए बाहर नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह उप-कप्तान हैं? वहीं, ईशान किशन की बात करें तो इंग्लैंड की तेज पिचों पर आईसीसी टी-20 रैंकिंग का यह टॉप खिलाड़ी रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

## राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल, हाईकोर्ट ने एक्टर को दिया तगड़ा झटका

मुंबई/ए।। चेक बाउंस केस में जाने माने एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। राजपाल यादव पर एक बार फिर जेल जापों। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के दौरान उनका आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया और इसे सतिष्ठ माना गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का व्यवहार और मामले में अपनाया गया रवैया भरोसे के योग्य नहीं रहा। यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजपाल यादव की दोषसिद्धि को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला उनकी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़ा है। साल 2010 में इस फिल्म के निर्माण के लिए उन्होंने सुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद वह तय समय पर कर्ज नहीं चुका सके। भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उनके



खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम , धारा 138 के तहत सात अलग-अलग मामलों दर्ज किए गए। साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को इन मामलों में 6 महीने की सजा सुनाई, जिसे बाद में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में सजा पर अंतिम रोक लगाई और बकाया राशि चुकाने के लिए कई मौके दिए। लेकिन अदालत के मुताबिक बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से हाई कोर्ट ने उनकी अंतिम राहत वापस लेते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया।



## नागदा को मिली केंद्रीय विद्यालय की सौगात, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शुभारंभ

अशोक महावर



उज्जैन/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को नागदा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ करते हुए इसे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय की स्थापना से नागदा सहित आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय के प्रथम चरण में कक्षा पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के प्रवेश के अनुसार कुल 200 सीटों पर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इनमें 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगामी 3 अगस्त से नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालय उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता, समान पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के लिए देशभर में प्रतिष्ठित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यहां विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालय में आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, खेलकूद तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण वाले परिवारों के बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे, क्योंकि पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकेगी। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि अनुशासन, नवाचार और राष्ट्रीय मूल्यों के विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। शुभारंभ समारोह में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक चिंतामणि मालवीय, डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान, सतीश मालवीय, जितेंद्र पंड्या, राजेश धाकड़, प्रदीप उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर संभागयुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा तथा केंद्रीय विद्यालय उज्जैन के प्राचार्य मुकेश कुमार मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

## श्रावण से पहले रामघाट और सवारी मार्ग का काम पूरा करें: कलेक्टर रौशन कुमार सिंह

उज्जैन/नवप्रदेश। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने गुरुवार देर रात निर्माणाधीन कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरसिद्धि की पाल से रामघाट तक मार्ग चौड़ीकरण और गोपाल मंदिर से ढाबा रोड होते हुए श्री सत्यनारायण मंदिर तक चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रामघाट मार्ग पर बन रही रिटर्निंग वॉल और गैबियन वॉल का कार्य चार दिन के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की पहली



श्रावण सवारी से पहले मार्ग पूरी तरह तैयार होना चाहिए। इसके लिए दिन-रात लगातार निर्माण कार्य कराया जाए तथा संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहें। साथ ही निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का

पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोपाल मंदिर से ढाबा रोड और श्री सत्यनारायण मंदिर तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ओर नाली निर्माण, विद्युत

पोल और स्ट्रीट लाइट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने मजदूरों की संख्या बढ़ाकर दिन-रात काम करने और निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मार्ग बाबा महाकाल की श्रावण सवारी का प्रमुख मार्ग है, इसलिए नालियों को पूरी तरह कवर किया जाए और निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रावण मास में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया।

## प्रतिबंधित पॉलीथिन पर नगर निगम का शिकंजा, डेढ़ क्विंटल प्लास्टिक जल

उज्जैन/नवप्रदेश। शहर को स्वच्छ और पॉलीथिन मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने शुक्रवार को प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक 28 के दूत तलाई क्षेत्र स्थित परफेक्ट ट्रांसपोर्ट से करीब डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की। इसी अभियान के तहत मालीपुरा स्थित होटल दिया के कर्मचारी को खुले में कचरा फेंकते हुए पाए जाने पर होटल संचालक के विरुद्ध 4 हजार रुपये का सफाई फाइन लगाया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर स्वच्छता

निरीक्षक मुकेश भाटी एवं स्वच्छता अमले की मौजूदगी में की गई। नगर निगम ने ट्रांसपोर्ट संचालकों, व्यापारियों और होटल संचालकों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित पॉलीथिन का क्रय-विक्रय या उपयोग किसी भी स्थिति में न करें तथा कचरा केवल डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। खुले में कचरा फेंकने या प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करते पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने नागरिकों से भी स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल उज्जैन के निर्माण में सहयोग करने तथा प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की है।

## समाज सेवा और जनजागरूकता को बना रहे माध्यम

## 30 वर्षों से नरेंद्र मोदी सेना के जरिए सक्रिय हैं उज्जैन के गोविंद दग्दी

उज्जैन/नवप्रदेश। किसी राजनीतिक नेता का समर्थक होना सामान्य बात है, लेकिन उसके नाम पर वर्षों तक संगठन चलाकर उसे देशभर में विस्तार देना एक अलग पहचान बनाता है। उज्जैन निवासी गोविंद दग्दी पिछले करीब 30 वर्षों से 'नरेंद्र मोदी सेना'-नामक संगठन का संचालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन के माध्यम से समाज सेवा, जनजागरूकता और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गोविंद दग्दी के अनुसार वे नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दौर से ही उनके विचारों से प्रभावित रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भगवान महाकाल से नरेंद्र मोदी



के देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचने की कामना की थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे अपने संकल्प की पूर्ति के

रूप में देखा। दग्दी बताते हैं कि उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा संगठन के विस्तार, नए कार्यकर्ताओं से संपर्क और

सामाजिक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने में बीतता है। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़कर समाज सेवा, जनकल्याण और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए प्रेरित करना है। उनका दावा है कि नरेंद्र मोदी सेना की इकाइयां आज देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं और संगठन से हजारों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। संगठन समय-समय पर सामाजिक सरोकार, जनजागरूकता अभियान और विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन करता है।

गोविंद दग्दी का कहना है कि संगठन का विस्तार लगातार जारी है और नए राज्यों में भी इसकी इकाइयां गठित

की जा रही हैं। उनके अनुसार संगठन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज सेवा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

दग्दी ने बताया कि उन्हें दो अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर भी मिला। उनका कहना है कि भविष्य में भी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा देशभर में इसके विस्तार के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उज्जैन से संचालित यह संगठन अपने लंबे सफर और गतिविधियों के कारण समय-समय पर चर्चा का विषय बना रहता है।

स्वच्छता नियमों का पालन अब सबकी जिम्मेदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू

अब घर से ही कचरे का पृथक्करण अनिवार्य

- गीला, सूखा, सैनिटरी, स्पेशल-केयर चार अलग श्रेणियों में कचरा दें, ताकि सही निपटान हो सके।

राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से पूरी व्यवस्था पारदर्शी

- रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग और पब्लिक डैशबोर्ड से अब हर शहर की स्वच्छता प्रगति सबके सामने।

नियम तोड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्रवाई

- थोक कचरा उत्पादकों (BWG) के लिए नई व्यवस्था।
- ऑन-साइट प्रोसेसिंग करें या अधिकृत व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी निभाएं।
- कचरा अलग होगा, तो शहर बेहतर होगा।
- स्वच्छता में सहयोग करें, नए नियमों का पालन करें।

स्वच्छ शहर-स्वस्थ नागरिक-सुरक्षित भविष्य

D11053/26

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक यशवंत धोटे द्वारा बालाजी प्रिंटर्स प्लॉट नं -21 , सेक्टर-एच, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल से मुद्रित कर, ए-182, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित मो- 9425237314, Email- navpradeshbhopal@gmail.com(न्याय क्षेत्र भोपाल )